

6
रजि. नं. 24/1/12

न्यायालय तहसीलदार सिराथू कौशास्वी

वाद सं. 358 सन् 2012 धारा 34 एल. आर. ऐक्ट

मौजा अलीपुर जीता आमद हथगाम परगना कड़ा जिला कौशास्वी

प्रबन्धक उमेश सिंह बनाम अफ्जर खाँ आदि


निर्णय उक्त वाद उ. जिल. स. के आदेश दि. 19-7-12 द्वारा ना. त. उ. के न्या. सेस्था. होकर या न्या. को प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत वाद मूल पंजीकृत केनामा की छाया प्रति उ. नि. सिराथू से प्राप्त होने पर लेखपाल की नामान्तरण प्र. पत्र पर योजित किया गया है जिसमे उद्धो फणा पत्र जारी हुआ जो वाद तामील शा. मि. है कोई आपत्ति नहीं आई वादी ने अपने साक्ष्य मे मूल दस्तावेज केनामा तथा साठे बारह एकड़ से भूमि कम होने का शपथपत्र शा. मि. किया पत्रा. पर उपलब्ध साक्ष्यों से विदित होता है कि विक्रीत भूमि गांव सभा सीलिंग भूदान पट्टे आदि की नहीं है और केनामा का कब्जा है उक्त नामान्तरण से अधिकतम जोत सीमा कानून से प्रभावित नहीं होता है अतः वाद नामान्तरण स्थिे जाने मे कोई विधिक लच्छनही है

आदेश

ग्राम अलीपुर जीता आमद हथगाम परगना कड़ा जिला कौशास्वी की खतोनी 1418 फ. लगा. 1423 फ. के खाता नं. 02 के गा. नं. 186 क रकबा 0.086 हे. मा. गु. परता रेट अपने सम्पूर्ण अंश से विक्रेतांगण अफ्जर खाँ व रजि. खाँ पुद्गण श्री झूरी खाँ नि. ग्राम अलीपुर जीता आमद हथगाम परगना कड़ा तहसील सिराथू जिला कौशास्वी के नाम पृथक करके उनके स्थान पर केनामा स्व. तिलकराज सिंह महा विद्यालय ग्राम व पो. अलीपुर जीता तहसील सिराथू जिला कौशास्वी अन्तर्गत संस्था तिलकराज सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक श्री उमेश सिंह पु. स्व. तिलक राज सिंह नि. 683 राज रूप पुर इलाहाबाद का नाम जरिये केनामा का संक्रमणीय भूमिदर दर्ज हो बाद उमेश दरामद पत्रा. दा. द. हो।

दिनांक- 24.1.12



24.1.12
तहसीलदार
सिराथू।

RPN/1/67/1 45

24.1.12
24.1.12